



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

पंजीकृत कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
Registered Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM

(इस प्रपत्र को भरने से पहले पीछे मुद्रित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

क्रम संख्या / Serial No.

एकल/ पहले शेयरधारक का नाम तथा पंजीकृत पता
Name and registered address of the sole/
first named Shareholder

संयुक्त शेयरधारक(कों) का/के नाम, यदि कोई हो
Name of the joint Shareholders(s), if any.

पंजीकृत फोलियो संख्या/ *डीपी - ग्राहक आईडी क्र. (*डिमटेरियलाइज्ड
फॉर्म में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों को लागू)
Registered Folio No./ *DP - Client ID No. (*Applicable to
Shareholders holding shares in dematerialized form)

धारित शेयर(रों) की संख्या
Number of share(s) held

मैं/ हम, डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपना मत देते हैं जोकि बैंक के दिनांक 10 जनवरी, 2019 के डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों के लिए है तथा इस संबंध में मैं/ हम कथित प्रस्तावों के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिए गए उचित कॉलम में (✓) चिह्न लगाकर करते हैं :
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolutions to be passed through Postal Ballot for the businesses stated in the Notice of Postal Ballot dated 10th January, 2019 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolutions by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below :

अनु. क्र. Sr. No.	एजेंडा मद का ब्यौरा Particulars of Agenda Item	धारित किए शेयरों की संख्या No. of Shares held	प्रस्ताव के लिए मेरी सहमति (पक्ष में) I assent to the resolution (For)	प्रस्ताव के लिए मेरी असहमति (विपक्ष में) I dissent to the resolution (Against)
1	प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयरों की संख्या उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम व आवंटित करने के लिए जोकि कुल ₹ 4,498/- करोड़ (रुपए चार हजार चार सौ अठानबे करोड़ मात्र) के भारत सरकार ('जीओआई') के लिए प्राथमिकता आधार पर नकदी के लिए सेबी (पूँजी निर्गम तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 के अनुसार निर्धारित किया जाना है। (विशेष प्रस्ताव)। To create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price as determined in accordance with the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 aggregating to ₹ 4,498 Crore (Rupees Four Thousand Four Hundred and Ninety Eight Crore only) on Preferential basis to Government of India ("GOI"). (Special Resolution).			
2	सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 के अनुसरण में एक या अधिक हिस्से में कर्मचारी शेयर खरीद योजना (इएसपीएस) के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को 10 करोड़ (दस करोड़) तक इक्विटी शेयर जारी करना। (विशेष प्रस्ताव)। To issue upto 10 crore (Ten crore) Equity shares to eligible Employees of the Bank under Employee Share Purchase Scheme (ESPS) in one or more tranches in terms of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014. (Special Resolution).			

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

शेयरधारक के हस्ताक्षर / Signature of the Shareholder

नोट: / NOTE: इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए नोटिस में संलग्न निर्देशों का संदर्भ लें। ई-वोटिंग शुरुवार 18 जनवरी, 2019 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी तथा शनिवार 16 फरवरी, 2019 शाम 5.00 बजे को बंद होगी। संवीक्षक द्वारा डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट फॉर्म) प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि शनिवार, 16 फरवरी, 2019 सायं 5.00 बजे (आइएसटी) तक।
For Electronic Voting, please refer the instructions in the Notice attached herewith. E-voting will commence from 9.00 a.m., Friday, 18th January, 2019 and end on 5.00 p.m., Saturday, 16th February, 2019. Last date for receipt of Postal Ballot Forms by Scrutinizer is Saturday, 16th February, 2019 upto 5:00 PM (IST).

ई-वोटिंग ब्यौरा / E-VOTING PARTICULARS

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट क्रमांक) EVEN (E- Voting Event Number)	यूजर आईडी / USER ID	पासवर्ड / पिन PASSWORD / PIN
190110003	आपका फोलियो / डीमेट खाता संख्या Your Folio / Demat Account Number	आपके पास पहले से उपलब्ध हो या आप जनरेट कर सकते हैं Already with you or you can generate

निर्देशः

1. पोस्टल बैलेट द्वारा वोट का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाला शेयरधारक इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पूरा भरें और इसे संलग्न स्व-संबोधित डाक प्री-पेड लिफाफे में संवीक्षक (स्कूटिनाइजर) को भेजें। पोस्टल बैलेट वाले लिफाफे, यदि व्यक्तिशः जमा किए गए शेयरधारक द्वारा खर्च वहन कर कूरियर द्वारा भेजे गए, तो भी स्वीकार किए जाएंगे।
2. यह फॉर्म पूरा भरा जाना चाहिए और शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए (बैंक / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार। संयुक्त धारिता के मामले में, इस फॉर्म को पहले नामित शेयरधारक द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में अगले नामित शेयरधारक द्वारा पूरा व हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
3. कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटीज आदि द्वारा धारित शेयरों के मामले में, विधिवत पूरा पोस्टल बैलेट फॉर्म प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के साथ होना चाहिए। जहां फॉर्म पर भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, नामांकन की प्रमाणित प्रति पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
4. उपयुक्त कॉलम में टिक मार्क (✓) करके सहमति को कॉलम फॉर (FOR) में और असहमति को कॉलम अगेन्स्ट ('AGAINST') में दर्ज करना चाहिए।
5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म अस्वीकार किए जा सकते हैं।
6. एक शेयरधारक को सभी वोटों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही सभी वोटों को एक ही तरह से डालने की आवश्यकता है।
7. विधिवत पूरा किया गया पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को कार्यसमय समाप्ति अर्थात् शाम 5.00 से पूर्व पहुंच जाना चाहिए। इस तारीख के बाद प्राप्त सभी पोस्टल बैलेट फॉर्म ऐसे माने जाएंगे जैसे कि उस शेयरधारक का जवाब प्राप्त नहीं हुआ हो।
8. यदि आवश्यक हो तो शेयरधारक एक डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, पूरी तरह से भरा हुआ डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास उपरोक्त मद क्रमांक 7 में निर्दिष्ट तारीख से पूर्व पहुंच जाना चाहिए।
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि संलग्न पोस्टल प्री-पेड स्व-पता लिफाफे में पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ कोई अन्य पेपर न भेजें।
10. वोटिंग के अधिकार की गणना अंतिम दिनांक अर्थात् शुक्रवार, 04 जनवरी, 2019 को शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी।
11. पोस्टल बैलेट फॉर्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
12. पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग के परिणामों की घोषणा सोमवार, 18 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व की जाएगी तथा बैंक के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और बैंक की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
13. ई-वोटिंग : सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की विनियमावली 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 108 और बाद में बने नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा (सीडीएसएल के ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से) उपलब्ध करा रहा है जो शेयरधारकों को भौतिक बैलेट फॉर्म भेजने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने हेतु सक्षम बनाएगा। कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग वैकल्पिक है। यदि कोई शेयरधारक दोनों माध्यमों से वोट करता है अर्थात् भौतिक बैलेट के साथ-साथ ई-वोटिंग तो ई-वोटिंग के माध्यम से दिए गए वोट को मान्यता दी जाएगी तथा उस शेयरधारक के भौतिक वोट को अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए नोटिस और उसके बाद के नोटों का संदर्भ लें।

INSTRUCTIONS:

1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the shareholder will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named shareholder and in his absence, by the next named shareholder.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution / Authorisation. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. 5.00 p.m., on Saturday, 16th February, 2019. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such shareholder has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self-addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the cut off date i.e. Friday, 04th January, 2019.
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Monday, 18th February, 2019 and displayed on the Notice Board of the Bank at its Registered Office, intimated to the stock exchanges, hosted on the website of the Bank and Central Depository Services (India) Limited.
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of CDSL) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e., Physical Ballot as well as E-voting, then voting done through E-voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes there to, for detailed instructions with respect to e-voting.